फर्द अहकाम

प्रीति अग्रवाल बनाम किशन कंवर वगै0

नाम न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या 94/2024 विविध

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	22.08.2024	यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी श्री विनोद कुमार जैन ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि0 एडी जारी हो व तहसीलदार फागी को जवाब हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 29-08-2024 को पेश हो।	
	29/8/24	पत्रावली पेश हुई है पी0ओ0साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 5/9/24 को पेश है	
	5/9/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप0 पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 6/9/24 को पेश हो।	
	6/9/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप0 पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 12/9/24 को पेश हो।	
	12/9/24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जवाब पेश किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र धारा 136 LR Act. के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना मे अंकित किया है कि अप्रार्थी सं. ① लगा. ③ द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये मुख्त्यारनामा आम सीताराम शर्मा पुत्र चन्दालाल शर्मा जाति ब्राह्मण के जरिये दिनांक 20-5-22 को दो भिन्न-भिन्न विक्रय पत्र के जरिये प्रार्थीया को विक्रय कर दी थी। विक्रय पत्र के आधार पर सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण सं. 3785	

फर्द अहकाम

प्रीती अग्रवाल बनाम किशन कँवर वगै.

नाम न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या 94/2024

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		दिनांक 12-4-24 को खुला जाकर उक्त सम्पूर्ण की खातेदारी प्रार्थीया के दर्ज की गई। किन्तु अप्रार्थी सं. 5 द्वारा प्रार्थीया को बिना सूचना दिए ही शुद्धि पत्र दिनांक 4-6-24 को करते हुए प्रतिवादी संख्या ① लगायत ③ के पूर्ववत खातेदारी कर दी गई। जिसे प्रार्थी पुनः अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है। चूंकि उक्त से स्पष्ट है कि पूर्व मे प्रार्थीया के नाम नामान्तकरण सं. 3785 दिनांक 12-4-24 खातेदारी दर्ज की गई। किन्तु तहसीलदार फागी द्वारा जरिये शुद्धिपत्र पुनः पूर्व खातेदारान के नाम आराजी दर्ज रिकार्ड की गई। उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 LR Act का बनना प्रतीत नही होता है उक्त प्रकरण नामान्तकरण अपील का है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रकरण नामान्तकरण अपील होने के कारण खारिज किया जाता है। साथ ही अप्रार्थी सं. ④ को अप्रार्थी सं. ① लगायत ③ के नाम दर्ज आराजी वर्तमान मे रहन होने या नही होने का प्रमाण पत्र प्रार्थीया प्रीती अग्रवाल पत्नि कुणाल अग्रवाल को जारी करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं. से कम हो दाखिल दफ्तर रहे। उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला–दूदू	